

सी.जी.-जी.जे.-अ.-13042023-245165 CG-GJ-E-13042023-245165

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] No. 237] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2023/चैत्र 23, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2023/CHAITRA 23, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिसूचना

गांधीनगर, 11 अप्रैल, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2023

आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी034.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 (इसके पश्चात प्रमुख विनियम कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

- 1. (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. प्रमुख विनियम के विनियम 77 में, उप-विनियम (2) को निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (केवल सलाहकारी सेवाओं का लाभ उठाने वालों को छोड़कर) का लाभ उठाने वाले ग्राहक की निधि को -

- (क) बैंकिंग इकाई में एफएमई का विशिष्ट बैंक खाते में;
- (ख) बैंकिंग इकाई मेंभारत में या विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थित बैंक में ग्राहक का विशिष्ट बैंक खाते में; या

2451 GI/2023 (1)

(ग) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है।

बशर्ते कि जब किसी ग्राहक के विशिष्ट बैंक खाते में धनराशि अनुरक्षित कीजाएगी, तो पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्यरत एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि वह उक्त बैंक खाते को स्वयं या किसी अभिरक्षक के माध्यम से संचालित करने के लिए विधिवत रूप से अधिकृत है और वह, प्राधिकरण को ऐसे सभी बैंक खाते, जिसमें उसके अधीन किए गए लेनदेन शामिल हैं, का विवरण, ऐसा करने का निदेश दिए जाने पर, प्राधिकरण को प्रदान करेगा।

> इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./017/2023-24]

टिप्पणी:

1. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 भारत के राजपत्र: असाधारण में अधिसुचना सं. IFSCA/2021-22/GN/REG024 में 19 अप्रैल 2022 को प्रकाशित किए गए थे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 11th April, 2023

International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Amendment) Regulations, 2023

IFSCA/2022-23/GN/REG034.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022, (hereinafter referred to as the principal Regulations), namely: -

- 1. (1)These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Amendment) Regulations, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In regulation 77 of the principal Regulations, for sub-regulation (2) , the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"The funds of a client availing portfolio management services (other than those availing only advisory services) may be maintained in-

- (a) a specific bank account of the FME in a Banking Unit;
- (b) a specific bank account of the client in a Banking Unit, a bank in India or a Foreign Jurisdiction; or
- (c) any other manner as may be specified by the Authority.

Provided that when the funds are maintained in the specific bank account of a client, the FME operating as portfolio manager shall ensure that it is duly authorised to operate the said bank account either by itself or through a custodian and that it shall provide the details of all such bank accounts including transactions carried out thereunder, to the Authority, whenever directed to do so."

INJETI SRINIVAS, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./017/2023-24]

Note:

1. The International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 were published in the Gazette of India: Extraordinary vide notification No. IFSCA/2021-22/GN/REG024 on 19th April 2022.